भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 200

उत्तर देने की तारीख 9 दिसंबर, 2024

सोमवार, 18 अग्रहायण 1946 (शक)

कारीगरों और शिल्पकारों का कौशल विकास

***200. श्री राजीव राय:**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल विकास के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से किसी कौशल विकास योजना/कार्यक्रम में विशेषकर उत्तर प्रदेश के मऊ और बलिया जिलों में करघा बुनकरों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करना भी शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन दोनों जिलों के लिए वित्तीय परिव्यय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'कारीगरों और शिल्पकारों का कौशल विकास' के संबंध में दिनांक 09.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *200 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से करघा बुनकरों जैसे कारीगरों और शिल्पकारों सहित समाज के सभी वर्गों को शामिल किया गया है।

सरकार ने कारीगरों और शिल्पकारों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल संवर्धन कार्यक्रम पेश करके उनके विकास को प्राथमिकता दी है। पीएमकेवीवाई के तहत कार्यक्रम कारीगरों और शिल्पकारों को उनकी मौजूदा विशेषज्ञता और विशेष प्रशिक्षण के आधार पर प्रमाणित और कुशल बनाते हैं। संबंधित क्षेत्र कौशल परिषदें उद्योग विशेषज्ञों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करती हैं कि प्रशिक्षण बाजार के रुझान और उपभोक्ता मांगों के अनुरूप हो। दिनांक 31.10.2024 तक, मऊ में कुल 534 और बलिया में 256 उम्मीदवारों को पीएमकेवीवाई के तहत पारंपरिक हाथ कढ़ाई की जॉब में प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है।

जेएसएस स्कीम के अंतर्गत 28 जॉब रोल में से 6 जॉब रोल कारीगरों और शिल्पकारों के लिए प्रासंगिक हैं। वर्ष 2022-23 से 10.11.2024 तक, जेएसएस मऊ नाथ भंजन और जेएसएस बलिया ने सहायक हस्त कढ़ाई जॉब रोल में क्रमशः 659 और 640 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है।

पीएम विश्वकर्मा स्कीम दिनांक 17.09.2023 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को अंतिम छोर तक सहायता प्रदान करना है, जो अपने हाथों और औजारों से काम करते हैं और पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशलो-न्नयन प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरणों तक पहुंच, ऋण सहायता के माध्यम से वित्तीय सहायता और उनकी उत्पादकता और उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बाजार संपर्क प्रदान करके उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना है। पीएम विश्वकर्मा के कौशल विकास घटक के अंतर्गत 5-7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिन या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण, 500 रुपए प्रतिदिन के वृत्तिका के साथ दिया जाता है। इस स्कीम में **अनुबंध** में दिए गए 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। स्कीम की शुरुआत से लेकर दिनांक 10.11.2024 तक पूरे भारत में 10,22,244 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें बलिया और मऊ जिले में क्रमशः 1,423 और 1,331 शामिल हैं।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए) ने छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 'विकास के लिए पारंपरिक कला शिल्प में कौशलोन्नयन और प्रशिक्षण (उस्ताद)' नामक कौशल विकास योजना लागू की है, जिसे लक्षित क्षमता निर्माण और मास्टर कारीगरों के पारंपरिक कौशल के उन्नयन के लिए 2015 में प्रारंभ किया गया था। स्कीम की शुरुआत से लेकर अब तक लगभग 21,611 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। उस्ताद स्कीम के तहत, 71 लाभार्थियों को मऊ जिले में ज़री ज़रदोज़ी और 28 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में चिकनकारी का प्रशिक्षण दिया गया।

वस्त्र मंत्रालय संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन में उद्योग के प्रयासों को पूरक बनाने के लिए मांग आधारित, नियोजनोन्मुख कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना) को लागू कर रहा है, जिसमें संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को शामिल किया गया है। समर्थ एक अखिल भारतीय स्कीम है जिसमें प्रशिक्षण लक्ष्य का कोई राज्य या क्षेत्र-विशिष्ट आबंटन नहीं है। समर्थ स्कीम के अंतर्गत, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय ने दिनांक 04.12.2024 तक उत्तर प्रदेश राज्य में 3052 बुनकरों को और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय ने 3190 कारीगरों को प्रशिक्षित किया है।

एमएसडीई के स्कीमों के अंतर्गत जिलों को सीधे निधि जारी नहीं की जाती है। पीएमकेवीवाई और जेएसएस स्कीम के अंतर्गत निधि निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण लागत को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाती है। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को जारी की गई निधि वर्ष 2023-24 तक विगत तीन वर्षों के दौरान 196.49 करोड़ रुपये है। जेएसएस स्कीम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सीधे निधि जारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में एनजीओ को जारी की गई निधि वर्ष 2023-24 तक विगत तीन वर्षों के दौरान 74.81 करोड़ रुपए है। एनएपीएस के अंतर्गत प्रतिष्ठानों को वृत्तिका सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। आईटीआई के संबंध में दिन-प्रतिदिन का प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास है।

अनुबंध

'कारीगरों और शिल्पकारों का कौशल विकास' के संबंध में दिनांक 09.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 200* के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत 18 व्यवसायों में सम्बद्ध कारीगरों और शिल्पकारों का विवरण:

क्र.सं.	ट्रेड का नाम
1.	दर्जी
2.	राजमिस्त्री (मिस्त्री)
3.	बढ़ई (सुथार)
4.	नाई
5.	मालाकार
6.	धोबी
7.	टोकरी निर्माता/टोकरी बुनकर: चटाई निर्माता/ नारियल बुनकर/ झाड़ू निर्माता
8.	लोहार (लोहार)
9.	कुम्हार (कुम्हार)
10.	मूर्तिकार (मूर्तिकार)/पत्थर तराशने वाला/पत्थर तोड़ने वाला
11.	सुनार (सुनार)
12.	मछली पकड़ने के जाल बनाने वाले
13.	हथौड़ा और टूल किट निर्माता
14.	मोची (चर्मकार)/जूते बनाने वाले/जूते बनाने वाले
15.	गुड़िया और खिलौने बनाने वाले (पारंपरिक)
16.	कवच बनाने वाले
17.	नाव बनाने वाले
18.	ताला बनाने वाले

*****